

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

सुनिल कुमार  
वाद संख्या

130 / 2021

बनाम

राज.सरकार वगैरह

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
01.10.2021	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री रामकरण शर्मा एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.10.2021 को पेश हों।</p> <p><i>CP</i> (विशेष पत्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p> <p><u>4/10/21</u> पत्रावली पेश की वकील तर्क द्वारा कण्डोलेन करन पर अनुरोध की गई। पुनः पत्रावली दिनांक - 30/11/21 को पेश हो।</p>
30/11/21	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के पत्रावली में पेश हुई। समय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <del>03/12/21</del> को पेश हो।</p> <p>(03/12/21) <i>CP</i> शिथिल प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)</p>
31/12/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अपीलित। पत्रावली पुनः दिनांक 18/01/2022 को पेश हो।</p> <p><i>CP</i></p>
18/1/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अपीलित। वादी सुनील क. उन्नीषी संघ 2 व 3 एवं अपीलित इन्होंने कपडा-कपडा हस्ताकृत किए साथ ही वाद के समर्थन में सहमति शपथ पत्र पेश किए जो शामिल रहे। वकील द्वारा जमवारामगढ़ ने दिनांक 03/12/2021 को कपती रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली है।</p> <p><i>CP</i> P.P.07</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला-जयपुर</p>

राज.सरकार वगैरह  
2/1/22

सुनील कुमार

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, राज.सरकर

सुनिल कुमार

बनाम

वाद संख्या

130 / 2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>वकील वादी ने अपनी बहाने में कहा कि आज्ञा 10/12/05 तहसील जमवारामगढ़ के खण्ड 514, 535, 549, 551 अर्थात् वादी के पिता का नाम गणेश नारायण की जगह प्राप्त कर दिया गया। वादी के पिता का देहांत शिव 20/11/05 को हो चुका है। और भाता का देहांत भी शिव 10/12/05 को हो चुका है। विरासत का नामांतरण खुलवाने का आज्ञा सुनाने के बाद वादी को वादी के पिता का नाम पप्पू की जगह अयोनारायण पुत्र अगणेश सुनाने दिया जावे।</p> <p>प्रतिवादी स० ने अपनी बहाने में प्रस्तुत प्रमाण के कारणों को दोहराते हुए कहा कि वादी के पिता का नाम पप्पू की जगह अयोनारायण लिखा जाने की अनुशासन की है तथा प्रतिवादी स० 2 व 3 ने अपनी बहाने के शपथ पत्रों में अंकित किया कि राजस्व विभाग में अरे भाई का नाम पप्पू की जगह अयोनारायण लिखा जावे हमें कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अथ पक्षों की बहस सुनाने के पत्रावली का अवलोकन करते पर वादी के दाव को डिकी किया जाता है तथा आज्ञा 10/12/05 तहसील जमवारामगढ़</p>

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़, जिला - राय

फर्द अहकाम

न्यायालय उपरखंड अधिकारी जज्वारागढ (जयपुर)  
सुजितल कुमार बनाम सरकार वगैरे  
 मुकदमा संख्या/वर्ष 130/2024

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------	---------------------------	----------------------	-------------

		<p>पिता जयपुर में स्थित भूखे लखन 514, 539, 549, 551 में वादी के पिता के नाम 1115 हिस्सा की जवाबदारी में वादी के पिता का नाम पप्पू पुत्र मंगला की जवाबदारी में नारायण पुत्र मंगला इस्तेमाल करने के उद्देश्य तहसील जज्वारागढ को दिए जाते हैं तदनुसार राज्य रिकार्ड में काल फिदा जाके डिक्री जारी हो।</p> <p>पत्रावली फेरल मुक्त होकर नम्बर 1 का हो वाद प्रति कारिल रहत हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 18/01/2024 को सुले न्यायालय सुभाषा राणा।</p>	
--	--	---	--

GA.  
 04  
 उपखंड अधिकारी  
 जज्वारागढ

[Signature]  
 उपखंड अधिकारी  
 जज्वारागढ, जिला जयपुर